अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015,

सं0 6/2015- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के,--

(क) उपनियम (1) में,--

(i) अन्त में और प्रथम परन्तुक के पूर्व आने वाले "निर्गत सेवा का प्रदाता" शब्दों के पश्चात् "या जॉब कर्मकार के परिसर में यदि माल यथास्थिति विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के निदेश पर जॉब कर्मकार के पास सीधे भेजा जाता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) तीसरे परन्तुक में "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) में "कारखाने में आबद्ध उपयोग के लिए" शब्दों के पश्चात् "या जॉब कर्मकार के परिसर में, यदि पूंजीगत माल यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के निदेश पर सीधे जॉब कर्मकार के पास भेजा जाता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उपनियम (5) में खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) (i) निवेशों पर सेनवेट प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा भले ही कोई निवेश उस रूप में या आंशिक रूप से प्रक्रमण किए जाने के पश्चात् किसी जॉब कर्मकार को भेजा जाता है और वहां से बाद में आगे प्रक्रमण, परीक्षण, मरम्मत, पुनरानुकूलन के लिए या अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए आवश्यक मध्यवर्ती माल के विनिर्माण के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अन्य जॉब कर्मकार के पास भेजा जाता है, और विनिर्माता या सेनवेट प्रत्यय लेने वाले निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, चलानों या ज्ञापनों से यह सिद्ध होता है कि निवेश या उससे उत्पादित उत्पाद यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा यथास्थिति, निर्गत सेवा के प्रदाता के कारखाने या परिसर से भेजे जाने से एक सौ अस्सी दिन के भीतर वापस प्राप्त हो जाता है:

परन्तु प्रत्यय तब भी अनुज्ञात किया जाएगा भले ही कोई निवेश यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के परिसर में पहले लाए बिना जॉब कर्मकार के पास सीधे भेजा जाता है और ऐसी दशा में एक सौ अस्सी दिन की अवधि की गणना जॉब कर्मकार द्वारा निवेश की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।"

(ii) पूंजीगत माल पर सेनवेट प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा भले ही कोई पूंजीगत माल उस रूप में किसी जॉब कर्मकार को आगे प्रक्रमण, परीक्षण, मरम्मत, पुनरानुकूलन के लिए या अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए आवश्यक मध्यवर्ती माल के विनिर्माण के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भेजा जाता है और विनिर्माता या सेनवेट प्रत्यय लेने वाले निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, चलानों या ज्ञापनों से यह सिद्ध होता है कि पूंजीगत माल, यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा इस प्रकार भेजे जाने से दो वर्ष के भीतर वापस प्राप्त हो जाता है:

परन्तु प्रत्यय तब भी अनुज्ञात किया जाएगा भले ही कोई पूंजीगत माल यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के परिसर में पहले लाए बिना जॉब कर्मकार के पास सीधे भेजा जाता है और ऐसी दशा में दो वर्ष की अवधि की गणना जॉब कर्मकार द्वारा पूंजीगत माल की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ;

(iii) यदि यथास्थिति, निवेश या पूंजीगत माल विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा यथास्थिति, उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता सेनवेट प्रत्यय

के विकलन द्वारा या अन्यथा यथास्थिति, निवेश या पूंजीगत माल पर लगने वाले सेनवेट प्रत्यय के समतुल्य रकम जमा करेगा किन्तु विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता तब पुनः सेनवेट प्रत्यय ले सकेगा जब यथास्थिति, निवेश या पूंजीगत माल निर्गत सेवा के प्रदाता के कारखाने या परिसर में वापस प्राप्त हो जाता है ।";

(घ) उपनियम (7) में,--

(i) पहले, दूसरे और तीसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"परन्तु ऐसी निवेश सेवा का बाबत जहां संपूर्ण सेवा कर या उसके भाग का संदाय करने के लिए सेवा का प्राप्तिकर्ता दायी है वहां सेवा प्राप्तिकर्ता द्वारा संदेय सेवा कर का प्रत्यय ऐसे सेवा कर का संदाय किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि बीजक बिल या यथास्थिति, नियम 9 में निर्दिष्ट चालान में यथा उपदर्शित संदत्त या संदेय निवेश सेवा के मूल्य और सेवा कर का संदाय की दशा में, बीजक बिल या यथास्थिति, चालान की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसा विनिर्माता या सेवा प्रदाता जिसने ऐसी निवेश सेवा पर प्रत्यय लिया है ऐसे कर के, जिसका संदाय विनिर्माता या सेवा प्रदाता द्वारा सेवा के प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाता है, सेनवेट प्रत्यय के बराबर रकम के सिवाय ऐसी निवेश सेवा पर लिए गए सेनवेट प्रत्यय के बराबर रकम का संदाय करेगा और यदि उक्त संदाय कर दिया जाता है, की दशा में, यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा प्रदाता इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इससे पूर्व संदत्त सेनवेट प्रत्यय के समतुल्य रकम का प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।";

(ii) छठे परन्तुक में "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 1 और 2 में, "उपनियम" शब्द के स्थान पर, "नियम" शब्द रखा जाएगा;

3. उक्त नियमों के नियम 5 के स्पष्टीकरण 1 में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) "निर्यात माल" से ऐसा कोई माल अभिप्रेत है जो भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाया जाना है ।"

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (i) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 2 के खंड (घ) और (ज) में यथा परिभाषित छूटप्राप्त माल या अंतिम उत्पादों में कारखाने से प्रतिफल के लिए निकासी किए गए गैर-उत्पादशुल्क्य माल भी आते हैं ।

स्पष्टीकरण 2—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, गैर-उत्पादशुल्कय माल का मूल्य बीजक मूल्य होगा और जहां ऐसा बीजक मूल्य उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे मूल्य का अवधारण उत्पाद-शुल्क अधिनयम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट मूल्यांकन के सिद्धान्तों से संगत युक्तियुक्त माध्यमों का प्रयोग करके किया जाएगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (4) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु इस उपनियम के उपबंध ऐसे आयातकर्ता को जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर सेनवेट प्रत्यय लिया जा सकता है, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

6. उक्त नियमों के नियम 12ककक में,--

(क) "किसी विनिर्माता पर निर्बंधन" शब्दों के पश्चात् "रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की दशा में" शब्दों के पश्चात् "कोई आयातकर्ता या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियमों में नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"14. गलती से लिए गए या भूल से प्रतिदत्त सेनवेट प्रत्यय की वसूली—

(1) (i) जहां सेनवेट प्रत्यय गलती से लिया गया है किन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया है वहां उसकी वसूली यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता से की जाएगी और यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क अधिनयम की धारा 11क या वित्त

अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 73 के उपबंध ऐसी वसूलियां करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ;

(ii) जहां सेनवेट प्रत्यय लिया गया है और उसका उपयोग गलत तौर पर किया गया है या उसे भूल से प्रतिदत्त कर दिया गया है वहां उसकी ब्याज सहित वसूली यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता से की जाएगी और यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क अधिनयम की धारा 11क और 11कक या वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 और धारा 75 के उपबंध ऐसी वसूलियां करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, एक मास के दौरान लिए गए सभी प्रत्ययों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे मास के अंतिम दिन में लिए गए हैं और उसके उपयोग के बारे में यह समझा जाएगा कि वह निम्नलिखित रीति में उत्पन्न हुआ है, अर्थात्:--

(i) मास के आरंभिक अतिशेष का उपयोग पहले किया गया है ;

(ii) मास के दौरान इन नियमों के निबंधनानुसार अनुज्ञेय प्रत्यय का उपयोग बाद में किया गया है;

(iii) मास के दौरान लिए गए इन नियमों के निबंधनानुसार अननुज्ञेय प्रत्यय का उपयोग इसके पश्चात् किया गया है ।"

8. उक्त नियमों के नियम 15 में, उस तारीख से जिसको वित्त अधिनियम, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है,--

(क) उपनियम (1) में "यथास्थिति, ऐसे माल या सेवाओं पर शुल्क या सेवा कर से अनधिक या दो हजार रुपए, इन में से जो भी अधिक हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 76 की उपधारा (1) के निबंधनानुसार, दायी होगा" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में "उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कग की

उपधारा (1) के खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङः)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (3) में "धारा 78 के उपबंधों के अनुसार शास्ति" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 78 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार शास्ति" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 26/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा, जो सा.का.नि. 619(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किए गए थे ।